न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

नामा.अपील सं. 06 / 2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1 श्रीमती उबराव कुंवर धर्मपत्नी माधोसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मोहब्बतनगर तहसील सिरोही		1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत मोहब्बतनगर तहसील सिरोही।

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से विद्वान वकील श्री जितेन्द्र सिंह देवडा।
2. रेस्पोडेण्ट सं.1 स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

नामा.अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015, जो सरपंच ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर

निर्णय दिनांक 02–7–2024

अपीलाण्ट ने जरिये वकील यह नामान्तकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015, जो सरपंच ग्राम पंचायत, मोहब्बतनगर इस न्यायालय मे दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तुत की गई है। यह कि अपीलार्थीया व उनके पति माधोसिंह पुत्र सोहनसिंह परमार जाति राजपूत निवासी मोहब्बत नगर तहसील व जिला सिरोही ने मौजा ग्राम मोहब्बत नगर पटवार हल्का मोहब्बत नगर तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या पुराना 581 नया 643 खसरा संख्या 1575, 1680, 2472 कुल किता 3 तीन कुल रकबा 1.5600 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 व 3 की वर्णित कृषि भूमि में से खातेदार महेश पुत्र गोविन्दमलजी एवं प्रमोद पुत्र गोविन्दमलजी जाति रावल निवासी सियाणा तहसील व जिला जालोर के 1/4 खातेदारी हक हिस्सा सम्पूर्ण को दिनांक 22 जुलाई 2015 को उप पंजीयक कालन्द्री में विक्रय विलेख संख्या 846 के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 को हल्का पटवारी पृष्ठांकन मय आर.आई. रिपोर्ट के ग्राम पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 11 जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोहब्बतनगर द्वारा इन्द्राज कर स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलार्थीया के पति का नाम विक्रय विलेख में सहवन (टंकण) त्रुटि के कारण उबराव कुंवर धर्म

पत्नी सोहनसिंहजी दर्ज हो गया जबकि अपीलार्थीया के पति का सही नाम उबराव कुंवर धर्मपत्नी माधोसिंह परमार दर्ज किया जाना था। उक्त त्रुटि की जानकारी होते ही नियमानुसार पूरक दस्तावेज उपपंजीयक कालन्द्री में निष्पादित करवाया गया जिसके पंजीयन संख्या 239 दिनांक 09.03.2016 है लेकिन उक्त दस्तावेज के पंजीयन से पूर्व ही विक्रय विलेख संख्या 846 अनुसार राजस्व रेकर्ड में गलत नाम का इन्द्राज हो गया था जिससे स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 त्रुटि (टंकण) के गलत नाम के इन्द्राज का होने से अपीलार्थीया यह अपील नामान्तरकरण संख्या 620 को खारीज / अपास्त करने व विक्रय विलेख मय पूरक दस्तावेज अनुसार पुनः नामान्तरकरण इन्द्राज हेतु रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध निम्न आधारो एवं वजुहातो के प्रस्तुत कर अपीलार्थीया व अन्य सहखातेदारो के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा मोहब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर भू.अभि. नि. क्षेत्र कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही में आई हुई है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
नया– 643	1575	0.1900 हैक्टेयर	बा – 2
पुराना–581	1680	1.0900 हैक्टेयर	बा – 2
	2472	0.2800 हैक्टेयर	बा – 3

(कुल किता 3 तीन कुल क्षेत्रफल 1.5600 हैक्टेयर)

अपीलार्थीया एवम् उनके पति ने संयुक्त रूप से जरिये विक्रय विलेख दिनांक 22 जुलाई 2015 को उपरोक्त पद संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार महेश पुत्र गोविन्दमलजी व प्रमोद पुत्र गोविन्दमलजी जातियान रावल निवासीयान सियाणा (जालोर) के 1/2 हक हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया उक्त विक्रय विलेख अनुसार नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के कार्यालय से जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थीया के पति का नाम विक्रय विलेख में सोहनसिंह परमार गलत नाम टंकण त्रुटि (सहवन) से लिखा गया जबकि अपीलार्थीया के पति का सही नाम माधोसिंह परमार लिखना था उक्त त्रुटि की जानकारी हेते ही नियमानुसार पुरक दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय कालन्द्री में सम्पादित करवाया गया जिसके पंजीयन संख्या 239 दिनांक 09.03.2016 है। नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 का इन्द्राज पूरक दस्तावेज पंजीयन से पूर्व ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया

गया जिससे अपीलार्थीया के पति का सही नाम राजस्व रेकर्ड में पुरक दस्तावेज पंजीयन अनुसार इन्द्राज नहीं हुआ है तथा उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थीया के पति का सही नाम माधोसिंह के स्थान पर सोहनसिंह का इन्द्राज किया गया है जिससे उक्त नामान्तरकरण सर्वथा गलत नाम त्रुटि के इन्द्राज अनुसार स्वीकृत हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 विक्रय विलेख संख्या 846 दिनांक 22 जुलाई 2015 अनुसार इन्द्राज कर स्वीकृत किया। जबकि उक्त विक्रय विलेख संख्या 846 का पुरक दस्तावेज 239 दिनांक 09.03.2016 को पंजीयन हुआ है। उक्त अनुसार नामान्तरकरण संख्या 620 का इन्द्राज नहीं किया गया जिससे उक्त नामान्तरकरण गलत नाम सहवन (टंकण त्रुटि) इन्द्राज का होने से सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 ने दिनांक 22 जुलाई 2015 के विक्रय विलेख संख्या 846 अनुसार इन्द्राज गलत नाम सहवन (टंकण त्रुटि) अनुसार नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 का इन्द्राज किया गया जबकि उक्त विक्रय विलेख का पुरक दस्तावेज 239 दिनांक 09.03.2016 में ही करा लिया था एवम् उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्ट्स को पेश की गई लेकिन उक्त पुरक दस्तावेज पत्रावली के पेश करने से पूर्व ही नामान्तरकरण संख्या 620 को बिना जांच रिपोर्ट व अपीलार्थीया की अनुपस्थिति में बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन किये उक्त आदेशात नामान्तरकरण का इन्द्राज किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीया मय पति को नामान्तरकरण पंजिका व जमाबंदी की नकल लेने पर हुई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा सिरोही के जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 109, कृषि पास बुक, आपसी ईकरारनामा दिनांक 17–06–2011, रसीदें, इकरारनामा दिनांक 05–05–2000, खसरा परिवर्तनशील, मिलान क्षेत्रफल की प्रतियों का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 25–07–2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को तामील होने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व स्टेट की ओर से जावाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने से पर्याप्त समय दिया गया।

अतः निवेदन किया है कि अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपील पद संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमि का जरिये विक्रय विलेख पंजीयन संख्या 846 दिनांक 22 जुलाई 2015 स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 20.08.2015 को अपास्त एवं निरस्त करावे एवम् पुनः पुरक दस्तावेज पंजीयन संख्या 239 दिनांक 09.03.2016 के तहत शुद्धि अनुसार विक्रय विलेख

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)

संख्या 846 का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के पति के सही नाम इन्द्राज से दर्ज कराने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ शुद्वि नामान्तरकरण पत्र मौजा मोहब्बतनगर के जमाबंदी संवत् 2072–2075 खाता संख्या 643, नामान्तरकरण पंजीका, विक्रय विलेख दिनांक 22–07–2015 व पूरक दस्तावेज दिनांक 09–03–2016 की प्रतियों का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण का यह अपील दिनांक 19–05–2023 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस रेस्पोडेन्टस को तामील होने के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 2 ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने से पर्याप्त समय दिया गया ।

इस न्यायालय की सुनवाई पेशी दिनांक 02–07–24 रेस्पोडेन्टस सं. 1 तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्रांक / रीडर / विधि / 2331 दिनांक 14–02–24 से प्रस्तुत जवाब को शामिल मिसल किया । प्रति वकील अपीलाण्ट को उपलब्ध करवाई गई । तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया है कि जमाबन्दी मौजा मोहब्बतनगर, पटवार मण्डल मोहब्बतनगर के खाता संख्या 990 व 643 में खसरा नम्बर क्रमश 1575 एवं 1680 व 2472 रकबा क्रमशः 0.1900 हैक्टेयर एवं 1.0900 व 0. 2800 हैक्टेयर अपीलांट व अन्य के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है । वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 990 व 643 में अपीलांट का नाम उबरावकुंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत अंकित है । रेकर्ड से ज्ञात करने पर पाया गया है कि उक्त प्रविष्टि नामान्तरकरण संख्या 620 से दर्ज हुई है । अपीलांट का वास्तविक नाम आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व मतदाता पहचान दस्तावेज अनुसार उबरावकुंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपूत है जबकि नामान्तरकरण सं. 620 / 20.08.2015 द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के आधार पर उबरावकुंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत दर्ज हुआ चूंकि उपरोक्त बेचान दस्तावेज में अपीलांट के पति का नाम सोहनसिंह अंकित था । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के पूरक दस्तावेज संख्या 239 / 09. 03.2016 की छाया–प्रति के अनुसार अपीलांट का नाम उबरावकुंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपूत अंकित है, परन्तु इससे पूर्व ही राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 620 के द्वारा अपीलांट के पति का नाम सोहनसिंह अंकित हो चुका था । फलस्वरूप, अपीलांट के पहचान दस्तावेजों तथा बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के पूरक दस्तावेज संख्या 239 / 09.03.2016 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 620 को अपास्त किया जाना उचित है ।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)

इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे अपील अ.धा. 75 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस दिनांक 2–7–2024 को वकील अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार की रखी गई जिस पर वकील अपीलाण्ट व पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचाराधीन प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न अपीलाण्ट की अपील व रेस्पोडेण्ट का जवाब मय विचाराधीन नामामान्तरण संख्या 620 दिनांक 20–8–2015 ग्राम पंचायत मोहब्बतनगर का अवलोकन कर उस पर गहनता से मनन किया । वकील अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया। यह सही है कि अपीलांट का वास्तविक नाम आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व मतदाता पहचान दस्तावेज अनुसार उबरावकुंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपूत है जबकि नामान्तरकरण सं. 620 / 20.08.2015 द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के आधार पर उबरावकुंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत दर्ज हुआ चूंकि उपरोक्त बेचान दस्तावेज में अपीलांट के पति का नाम सोहनसिंह अंकित था । बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 की छाया–प्रति संलग्न है। इसके साथ ही विचाराधीन प्रकरण मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 2331 दिनांक 14–2–2024 के द्वारा यह जवाब प्रस्तुत कर इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के पूरक दस्तावेज संख्या 239 / 09. 03.2016 की छाया–प्रति के अनुसार अपीलांट का नाम उबरावकुंवर पत्नी माधोसिंह जाति राजपूत अंकित है, परन्तु इससे पूर्व ही राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं. 620 के द्वारा अपीलांट के पति का नाम सोहनसिंह अंकित हो चुका था । फलस्वरूप, अपीलांट के पहचान दस्तावेजों तथा बेचान दस्तावेज संख्या 846 / 22.07.2015 के पूरक दस्तावेज संख्या 239 / 09.03.2016 के अनुसार नामान्तरकरण सं. 620 को अपास्त किया जाना उचित है । पैराकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के उक्त जवाब के आधार पर विचाराधीन अपील अ.धा.75 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर अपीलाण्ट की यह अपील अ.धा.75 एल.आर.एक्ट विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा विवेचनाधीन नामान्तकरण संख्य 620 दिनांक 20–8–2015 ग्रा.पं.मोहब्बतनगर को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये पुनः अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये विधि एवं तथ्यों के अनुकूल विधिसम्मत

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)

नयेसर नामान्तकरण दायर करने हेतु निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपरोक्त निर्णण आज दिनांक 02—07—2024 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

(श्री अभिषेक चारण)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही